FORM No. III

फर्द अहकाम

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण विशिष्ठ न्यायालय(सा0 दं0 प्र0) जयपुर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज एम.ए.सी. प्रकरण संख्या– 810/2019 नरेश कुमार मीणा बनाम सुरेन्द्र सिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.06.2026	वकुलाय फरीकेन उपस्थित । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता दिनांकित 19.06.2026 पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी, जिसका इस आदेश द्वारा निस्तारण किया जा रहा है । प्रार्थी/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि याचिका में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस अंतिम की तैयारी के समय दस्तावेज के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि याचिका में प्रार्थी की दुर्घटना की दिनांक टंकणीय त्रुटिवश एवं सहज मानवीय भूल के कारण 04.10.2018 अंकित हो गयी है जबकि दुर्घटना की सही दिनांक 11.10.2018 है । याचिका संशोधन के अभाव में याचि को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी । चाकशुदा एफ.आई.आर. में दुर्घटना दिनांक 4.10.2018 अंकित हो जाने से याचिका एवं साक्ष्य में सहवन से 11.10.218 के स्थान पर 04.10.2018 अंकित हो गयी है, जिसे न्यायहित में संशोधन कराया जाना आवश्यक है । याचिका में प्रार्थी के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं याचिका संशोधन कराने में लगे अतिरिक्त समयावधि की ब्याज राशि प्रार्थी स्वयं छोडने को तत्पर है । याचिका संशोधन से विपक्षीगण के विधिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा । प्रकरण में प्रार्थी के ईलाज, फौजदारी दस्तावेज, एम.एल.सी. इत्यादि में दुर्घटना की दिनांक 11.10.2018 अंकित है तथा दुर्घटना की वास्तविक दिनांक भी 11.10.2018 है, जो स्लिप ऑफ पेन/टंकणिय त्रुटि एवं सहज मानवीय त्रुटिवश 04.10.2018 अंकित हो गयी है, जिसको संशोधन कराने की अनुमति दिया जाना एवं तदनुरूप संशोधित याचिका पेश करने, अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है एवं याचिका को न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए आवश्यक है । अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दुर्घटना दिनांक 04.11.2018 के स्थान पर दिनांक 11.10.2018 संशोधन की अनुमति एवं तद्नुरूप संशोधित याचिका पेश करने, अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान —2	

न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
विशिष्ठ न्यायालय साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण
जयपुर महानगर प्रथम

Scanned with OKEN Scanner

फरमावें ।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का पृथक से जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी की ओर से जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह विधि विरूद्ध एवं सी.पी.सी. के आदेश 6 नियम 17 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है, उक्त आदेश एवं नियम में ऐसे संशोधन जो वाद की प्रकृति को ही बदल दे, किये जाने का प्रावधान नहीं है । प्रार्थी ने याचिका व उसके बाद किये गये बयानों में घटना की दिनांक 4.10.2018 की वर्णित की है, उसी के अनुरूप तनकीयात में भी घटना की तिथि 4.10.2018 ही उल्लेखित है । आदेश 6 नियम 17 में स्पष्टतया वर्णित है, कि संशोधन स्वीकार्य होंगे, जिनका कि प्रार्थी को ज्ञान वाद प्रस्तुत करने से पूर्व न रहा हो, प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रकरण वर्ष 2019 में दायर किया गया था एवं प्रार्थना पत्र दायरी के उपरान्त उसकी साक्ष्य भी हो चुकी है तथा वर्तमान में भी प्रकरण मौखिक बहस हेतु नियत है । इस कारण इसे स्लिप ऑफ पेन नहीं कहा जा सकता है । साक्ष्य में हुई चूक को सुधारने हेतु प्रार्थी ने सोच समझकर यह दरख्वास्त प्रस्तुत की है, जो किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है । प्रार्थी ने आदेश 6 नियम 17 के प्रार्थना पत्र में ही अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुतीकरण की भी दरख्वास्त की है, जो अब बहस के स्तर पर स्वीकार्य नहीं है । अन्त में प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/याचिकाकर्ता एवं विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/विपक्षी बीमा कम्पने अपने–अपने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों तक सीमित रहें ।

उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं सुसंगत अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/याचिकाकर्ता की ओर से यह याचिका आरोपित दुर्घटना के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति राशि बाबत दिनांक 8.7.2019 को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श– 1 जो कि दिनांक 28.10.2018 की है, प्रार्थी/याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय के समक्ष सशपथ बयान

——3

न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
विशिष्ठ न्यायालय साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण
जयपुर महानगर प्रथम

Scanned with OKEN Scanner

FORM No. III

फर्द अहकाम

एम.ए.सी. प्रकरण संख्या– 810/2019
नरेश कुमार मीणा बनाम सुरेन्द्र सिंह व अन्य

दिनांक 12.8.2025 को लेखबद्ध कराये गये हैं तथा स्थायी निर्योग्यता प्रमाण–पत्र सभी दस्तावेजों में आरोपित दुर्घटना दिनांक 4.10.2018 की बतायी गयी है । तनकीयात भी इसी अनुरूप बनायी गयी है । याचिका इस अधिकरण के सर्वोत्तम पुराने प्रकरणों में से एक हैं तथा बहस अंतिम के स्तर पर है । ऐसी स्थिति में इस स्तर पर उपरोक्त विवेचन व तथ्यों के अनुरूप यह स्वीकार्य नहीं है कि स्लिप ऑफ पेन/टंकण त्रुटि एवं सहज मानवीय त्रुटिवश आरोपित दुर्घटना की दिनांक 11.10.2018 के स्थान पर दिनांक 04.10.2018 अंकित हो गयी हो तथा प्रार्थी को संशोधित याचिका पेश करने, अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित नहीं है ।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिनांकित 19.06.2026 इस स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश सुनाया गया ।

पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 29/6/2026 को पेश हो ।

न्यायाधीश
मो... दावा अधिकरण
विशिष्ट ... सम्प्रदायिक दंगे प्रकरण
जयपुर महानगर प्रथम